भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1807**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 13 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

बासमती चावल के निर्यात मूल्यों की समीक्षा

1807. श्री घनश्याम सिंह लोधीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बासमती चावल के निर्यात मूल्यों की समीक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने मूल्यों में संशोधन पर विचार करते समय किसानों, निर्यातकों और उद्योग विशेषज्ञों जैसे प्रमुख हितधारकों से परामर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे परामर्शों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) सरकार को इस आशय की विश्वसनीय फील्ड रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं कि गैर-बासमती सफेद चावल, जिसका निर्यात दिनांक 20 जुलाई, 2023 से प्रतिबंधित कर दिया गया है, का निर्यात बासमती चावल के एचएस कोड के तहत किया जा रहा है। गैर-बासमती चावल के अवैध निर्यात को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने दिनांक 26 अगस्त 2023 को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को केवल 1200 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन और उससे अधिक के मूल्य के बासमती निर्यात के लिए अनुबंध पंजीकृत करने के निर्देश जारी किए। हितधारकों के व्यापक परामर्श के बाद, सरकार ने दिनांक 26 अक्टूबर 2023 से एपीडा द्वारा अनुबंधों के पंजीकरण के लिए आधार मूल्य को घटाकर 950 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन करने का निर्णय लिया।

(ग) और (घ) जी, हां। बासमती निर्यात के लिए संविदाओं के पंजीकरण के लिए आधार मूल्य में संशोधन पर विचार करते समय व्यापक विचार-विमर्श किया गया था। सरकार ने इस संबंध में एक समिति का गठन किया था, जिसने हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश स्थित बासमती निर्यातकों और व्यापार/उद्योग संघों के साथ बैठकें की थी

****